

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 26.02.26

क्रमांक रीडर/2026/1007
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मांगाराम पुत्र पुरखाराम वगैराह जाति
मेघवाल निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 हरीसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जाति
राजपूत निवासी विशनपुरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-535/2025

दिनांक- 19/02/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा विशनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के

खसरा संख्या 3528/1220 रकबा 2.9866 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 26.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/1008-1011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण मांगाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हरीसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी विशनपुरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर